भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2839
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

भारतीय डाक विभाग में डिजिटल भुगतान प्रणाली का अभाव

2839. श्री एम. के. राघवन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डाकघर जनता को दी जाने वाली अपनी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय डाक विभाग की अपनी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली आरंभ करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) भारतीय डाक के सभी प्रधान डाकघर और शाखा डाकघर क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में भारतीय डाक को एक नई एप्लीकेशन नामत: एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) में माइग्रेट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डाकघरों को डायनेमिक क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल भुगतान के माध्यम से डाक-वस्तुओं की बुकिंग के लिए भुगतान स्वीकार करने में सक्षम किया गया है।

(ग) और (घ) 22 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार, एपीटी एप्लीकेशन को 81654 डाकघरों में कार्यान्वित किया गया है तथा ये सभी डाकघर डायनेमिक क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। एपीटी एप्लीकेशन को शेष सभी डाकघरों में 05.08.2025 तक रोलआउट कर दिया जाएगा। परिणामस्वरूप, भारतीय डाक के 1,64,987 डाकघरों का संपूर्ण नेटवर्क डिजिटल भुगतान स्वीकार करने में समर्थ होगा।

*****